संख्या-939/चौवालिस-2-2/चस/88-91

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 1991

विषय :-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सरकारी सेवकों की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए सरकारी सेवा में नियमों को शिथिल करते हुये नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है परन्तु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों में इस प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण यदि किसी कर्मचारी की किसी उपक्रम/निगम की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में मृत सेवकों के परिवारों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए शासन द्वारा विचार किया जा रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों के सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उसके दु:खी परिवार को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता पहुँचाने के दृष्टिकोण से उदारता की नीति अपनाते हुये उसके परिवार के एक सदस्य को उसी निगम/उपक्रम में सेवायोजित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) प्रतिलिपि संलग्न को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के सेवकों के लिये भी निम्न शर्तों के अधीन अंगीकृत (आप्ट) किया जाय :-

(1) निगमों/उपक्रमों के मृतक सेवकों के आश्रितों को उक्त नियमावली के अधीन नियुक्तियां सामान्यत: समूह "ग" एवं "घ" के ऐसे गैर-तकनीकी अधीनस्थ पदों पर ही की जायें, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 2200/- से कम

हो और जो सामान्य नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित न हों।

(2) निगमों/उपक्रमों के मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाय, उनको बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त किये गये पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाय।

(3) उक्त नियमावली का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में कार्यरत मृत सेवकों के आश्रितों को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।

(4) यह आदेश सार्वजनिक उद्यम चयन समितियों अथवा शासन द्वारा बनाये गये किसी अन्य स्वतंत्र चयन बोर्ड/आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं होंगे।

(5) इस नियमावली में उल्लिखित कार्यालय के प्रधान का तात्पर्य संबंधित निगम/उपक्रम के मुख्य कार्यकारी से होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-939(1)/44-2-2/चस/88-91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/बीडा/नोयडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 242-जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(4) कार्मिक अनुभाग-2

आज्ञा से,
मन्द्रलय जोशी,
अनु सचिव।